

अतः संबंधित रैयत को दिनांक ..... 12.4.18 .....

को पूर्वाह्न 11.00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।

2

अंचल अधिकारी,

बानो ।

20-7-2021

संबंधित रैयत को पुनः सूचना देकर दिनांक 27.7.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सभी राजस्व कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950, 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।

✓

अंचल अधिकारी  
बानो ।

27-7-2021

अभिलेख उपस्थापित नोटिस वामिला परिवेदन प्राप्त हैं जो अभिलेख के साथ संलग्न हैं। राजस्व उपनिरीक्षण के माध्यम से परिवेदन के अनुसार उक्त भूमि को किस जंगल श्रेणी में स्तर के सचिव राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग झारखण्ड गणक 5/स.प्र. विविध 156/2016 --- 61/प.प्र. राँची दिनांक 21.12.2017 के अधिलेखित निर्देश के आलोक में सदेहरण जमाबंदी रद्द की जाती है।

✓

अंचल अधिकारी  
बानो ।